

समस्त पत्र व्यवहार कुलसचिव,
लखनऊ विश्वविद्यालय को
सम्बोधित करें, अन्य किसी
अधिकारी के नाम से नहीं

पत्र संख्या :

दिनांक :

प्रेषक,

कुलसचिव,
लखनऊ विश्वविद्यालय,
लखनऊ-226007

सेवा में,

समस्त प्राचार्य/प्राचार्या,
लखनऊ विश्वविद्यालय से सहयुक्त विद्यालय/ महाविद्यालय,
लखनऊ, हरदोई, सीतापुर, लखीमपुर खीरी, रायबरेली।

विषय : शैक्षणिक सत्र 2024-25 में अनुसूचित जाति/ सामान्य वर्ग पूर्वदशम एवं दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत शिक्षण संस्थानों से ग्रेडिंग का विवरण प्राप्त कर परीक्षण करते हुए निदेशालय को उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।

महोदय/ महोदया,

उपरोक्त विषयक निदेशालय समाज कल्याण, उ०प्र०, लखनऊ के द्वारा नियमावली के नियम-6(xvii) (क) एवं (ख) में प्राविधान - "वित्तीय वर्ष 2025-26 से केन्द्र/ राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त केन्द्र/ राज्य/ निजी/ डीम्ड आदि सभी विश्वविद्यालयों एवं शिक्षण संस्थाओं को NAAC (National Assessment and Accreditation Council and Autonomous Institution of the University Grant Commission) से वर्ष 2024 तक ग्रेडिंग प्राप्त करनी होगी। वर्ष 2025-26 से उक्तानुसार प्राप्त विश्वविद्यालयों/ शिक्षण संस्थाओं में अध्ययनरत छात्र/ छात्राओं को शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क अनुमन्य है। एवं अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्, नई दिल्ली मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रदत्त मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में संचालित तकनीकी पाठ्यक्रमों में वर्ष 2024 तक NBA (National Board of Accreditation) ग्रेडिंग प्राप्त करनी होगी। वर्ष 2025-26 शिक्षण सत्र से NBA (National Board of Accreditation) ग्रेडिंग प्राप्त संस्थाओं में अध्ययनरत छात्र/ छात्राओं को ही शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्कप्रतिपूर्ति अनुमन्य है," के कड़ाई से अनुपालनार्थ निर्देश के क्रम में जिला समाज कल्याण अधिकारी, लखनऊ के पत्र संख्या सी०-602/ स०क०/ द०मो०छा०/ 2025-26, दिनांकित 08.05.2025 के द्वारा मास्टर डाटा में सम्मिलित शिक्षण संस्थान से उपरोक्त ग्रेडिंग से सम्बन्धित विवरण उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया है।

उक्त के क्रम में अनुरोध है कि कृपया अपने जनपद के जिला समाज कल्याण अधिकारी से सम्पर्क कर उपरोक्त व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित करें।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार

भवदीय,

(विद्यानन्द त्रिपाठी)
कुलसचिव

पत्र संख्या : SE/ST-9072-73 दिनांक : 19/05/25

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1. निजी सचिव कुलपति, माननीय कुलपति जी के सूचनार्थ।
2. ☒ इंचार्ज वेबसाइट, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ।

कुलसचिव